अनुस्मारक–1

संख्या : 332/XVII-C-1/2024–09(26)2014(TC)

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2 मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग — देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2024

विषयः– विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से आउटसोर्स के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को अकारण न हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–771/XVII-C5/16-09(26)/2014(TC), दिनांक 20 जुलाई, 2016 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या–640/XVII-C5/2020-09(26)/2014 (TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि के दोषी नहीं हैं तो उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिंग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान परिस्थितियों/कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है।

2– तत्क्रम में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि कतिपय विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को बिना समुचित कारण के हटाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सम्बन्धित शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभाग/संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में उपनल के माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें अकारण हटा दिया गया है, को उनके द्वारा पुनः आवेदन करने पर एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुनः उपनल के माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित

Generated from eOffice by LAXMI DUTT DHAUNDIYAL, RO-Soldier Welfare Section - LDD, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 27/02/2024

किये जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग एवं सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की होगी, किन्तु यह कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे तथा किसी भी समक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 26-02-2024 13:31:34
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : 332(1)/ XVII-C-1/2024-09(26)2014(TC) : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Sunil Singh
Date: 26-02-2024 13:45:28
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

... RO Soldier Welfare Section - I ... REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 27/02/2024 ...